

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 108/2018

दायर दिनांक 06.04.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. जलालखॉ पुत्र स्वर्गीय अलादीनखॉ, उम्र-60साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआवाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. परसाराम पुत्र स्वर्गीय बोदूराम, उम्र-66साल, जाति-मेघवाल, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. मुमताजखॉ पुत्र ईनायतखॉ, जाति-पठान, 3. मोहनलाल पुत्र पांचाराम, उम्र-45साल, जाति-प्रजापत, समस्त, निवासी-बिंचावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. राजुड़ी पत्नी बुधाराम, उम्र-60साल, 5. रामेश्वर पुत्र बुधाराम, उम्र-35साल, 6. निरभाराम पुत्र बुधाराम, उम्र-30साल, 7. सायरी पत्नी किशनाराम, उम्र-70साल, 8. भँवरलाल किशनाराम, उम्र-35साल, 9. सन्तोष पुत्री किशनाराम, उम्र-30साल, 10. पूनम पुत्री किशनाराम, उम्र-25साल, समस्त, जाति-मेघवाल, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 11. गीतादेवी पत्नी कन्हैयालाल, उम्र-60साल, जाति-शर्मा, 12. राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल, उम्र-40साल, जाति-शर्मा, 13. सुशीला शर्मा पुत्री कन्हैयालाल, उम्र-35साल, जाति-शर्मा, 14. रघुनाथ पुत्र तिलोकाराम, उम्र-40साल, जाति-जाट, समस्त, निवासी-बिंचावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,

बनाम्

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

	<p>15. मेहरामाराम पुत्र मंगाराम, उम्र-60साल, जाति-जाट,</p> <p>16. गंगाराम पुत्र नन्दाराम, उम्र-55साल, जाति-जाट,</p> <p>17. वाजूड़ी पुत्र मोहनाराम, जाति-जाट, समस्त,निवासी-बडावरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</p> <p>18. जैतून पत्नी जलालखॉ, उम्र-55साल, जाति-शेरानी,</p> <p>19. मलका पत्नी मोहम्मद हुसैन, उम्र-32साल, जाति-शेरानी, समस्त,निवासी-शेरानीआवाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</p> <p>20. नायब तहसीलदार छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</p>
--	--

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. पक्षकारान

--: निर्णय ::-

दिनांक 21.05.2018

शरहद मौजा छोटी खाटू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 1273 रकवा 05 बीघा के घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिनांक 07.05.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प-थेबडी में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने कोर्ट कैम्प दिनांक 21.05.2018 को अपने पत्र क्रमांक एसपी-1 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं की है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन



सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)


दिनांक 15.05.2018 को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा छोटी खाटू तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 1273 रकबा 05 बीघा का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A.S. कलेक्टर
डीडवाना (नागर) सहायक (कलेक्टर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-थेबडी

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक R.A.S. कलेक्टर
डीडवाना (नागर) सहायक (कलेक्टर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-थेबडी

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.
न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प

राजस्व वाद संख्या: 108/2018

दायर दिनांक 06.04.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. जलालखॉ पुत्र स्वर्गीय अलादीनखॉ, उम्र-60साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. परसाराम पुत्र स्वर्गीय बोदूराम, उम्र-66साल, जाति-मेघवाल, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. मुमताजखॉ पुत्र ईनायतखॉ, जाति-पठान, 3. मोहनलाल पुत्र पांचाराम, उम्र-45साल, जाति-प्रजापत, समस्त, निवासी-विचावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 4. राजुडी पत्नी बुधाराम, उम्र-60साल, 5. रामेश्वर पुत्र बुधाराम, उम्र-35साल, 6. निरभाराम पुत्र बुधाराम, उम्र-30साल, 7. सायरी पत्नी किशनाराम, उम्र-70साल, 8. भँवरलाल किशनाराम, उम्र-35साल, 9. सन्तोष पुत्री किशनाराम, उम्र-30साल, 10. पूनम पुत्री किशनाराम, उम्र-25साल, समस्त, जाति-मेघवाल, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 11. गीतादेवी पत्नी कन्हैयालाल, उम्र-60साल, जाति-शर्मा, 12. राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल, उम्र-40साल, जाति-शर्मा, 13. सुशीला शर्मा पुत्री कन्हैयालाल, उम्र-35साल, जाति-शर्मा, 14. रघुनाथ पुत्र तिलोकाराम, उम्र-40साल, जाति-जाट, समस्त, निवासी-विचावा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. मेहरामाराम पुत्र मंगाराम, उम्र-60साल, जाति-जाट, 16. गंगाराम पुत्र नन्दाराम, उम्र-55साल, जाति-जाट, 17. वाजूडी पुत्र मोहनाराम, जाति-जाट, समस्त, निवासी-बडाबरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 18. जैतून पत्नी जलालखॉ, उम्र-55साल, जाति-शेरानी, 19. मलका पत्नी मोहम्मद हुसैन, उम्र-32साल, जाति-शेरानी, समस्त, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 20. नायब तहसीलदार छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा खतेदारी, बंटवारा रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.


दिनांक 21.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई पक्षकारान् उपस्थित ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा छोटी खाटू तहसील डीडवाना के आराजी

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)


खसरा संख्या 1273 रकबा 05 बीघा का वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.05.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.05.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
 खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें।
 बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 कोर्ट कैम्प-थेबडी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 कोर्ट कैम्प-थेबडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक:-108-2018 / रीडर / 2018 / 551

दिनांक 21.05.2018

प्रेषित:-


तहसीलदार
डीडवाना।

विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत
घोषणा खतेदारी, बंटवारा रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. जलालखाँ पुत्र स्वर्गीय अलादीनखाँ, उम्र-60साल, जाति-शेरानी, निवासी-शेरानीआबाद, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. परसाराम पुत्र स्वर्गीय वोदूराम, उम्र-66साल, जाति-मेघवाल, निवासी-छोटीखाटू, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-थेबडी